''भारत में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में स्वरोजगार की भूमिका''

डॉ. राजमल मालव एवं डॉ. उमा बड़ौलिया
सह आचार्य
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा

मानव विकास की शर्तों पर सभ्यता और सामाजिक व्यवस्थाओं को मापने की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नागरिक समाज को ऐसा बनाया जाये कि सभी हिंसामुक्त, भयमुक्त जीवन जी सकें। फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स फूरिए के इस कथन से शायद ही कोई असहमत हो कि ''सभ्यता के विकास की बात हो या जनमुक्ति की असली पैमाना स्त्री ही है।'' महिलाओं को इतना अधिक सम्मान देने का कारण बताते हुए दार्शनिक चेर ठीक ही कहते हैं कि ''महिलाएँ समाज की वास्तुकार होती है।''

विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में महिला को मातृदेवी के रूप में पूजा जाता था, भले ही कालान्तर में विविध वस्तुगत और आत्मगत कारणों से स्त्री की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में गिरावट आई। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण विश्व के सभी देशों में चिन्तनीय मुद्दा बना हुआ है। UNO द्वारा 8 मार्च, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, तभी से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है।

1993 में मानवाधिकारों के वियना सम्मेलन में महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानव के व्यक्तित्व विकास और सशक्तिकरण से है। बिना किसी भेदभाव के व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसर प्रदान कराना आज की सभी संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का मुख्य ध्येय है। महिला मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध उनके सशक्तिकरण से है। जिसका अर्थ है कि महिलाएं घर, परिवार, समाज, राष्ट्र में अपनी क्षमतानुसार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सक्षम, सशक्त बनें। जिससे वे अपने जीवन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर निर्णय लेने की हकदार बनें। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें उपलब्धता मानव शक्ति की कार्यक्षमता, सामर्थ्य गुणवता में सकारात्मक वृद्धि हो। इस दृष्टि से देखा जाये तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से पहले की तुलना में सशक्त हुई है, अर्थात उन्होंने अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि प्राप्त कर अवसर की समानता के अधिकार का लाभ उठाकर न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास किया है अपितु रोजगार प्राप्त कर पारिवारिक आय व राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना सकारात्मक योगदान दिया है। हालांकि इस दिशा में अभी और अधिक आगे आने की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाऐं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान की मुख्य धारा से जुड़ने में आज भी अवरोध महसूस कर रही है।

वे अपने गरीमामय जीवन, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक संवेदनशीलता हेतु आज भी संघर्ष का सामना कर रही है जबकि इस हेतु भारत में सभी स्त्री पुरूषों को समान रूप से संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं जैसे–

1. समता का अधिकार – अनु0 14

2. धर्म, मूलवंश,जाति लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिबंध – अनु0 15(1)
3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता – अनु0 16
4. स्वतन्त्रता का अधिकार – अनु0 19
5. प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण – अनु0 21
6. शिक्षा का मूल आधार – अनु0 21(1)
7. मानव के दुव्यर्वहार और बलात श्रम का प्रतिषेध – अनु0 23, 24
8. सांविधानिक उपचारों का अधिकार – अनु0 32

संविधान के भाग चार में अनु0 39 में कहा गया है कि सभी को जीविका के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, समान कार्य समान वेतन स्वास्थ्य व शक्ति का दुरूपयोग ना हो। अनु0 41 काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार देता है वहीं अनु0 42 काम की मानवोचित दशाओं का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। अनु0 43 अवकाश के सम्पूर्ण उपभोग सांस्कृतिक मनोरंजन उपलब्ध करवाने के प्रावधान करता है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रम विधियों जैसे कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राजय बीमा आयोग 1948, खान अधिनियम 1952, प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961, समान वेतन अधिनियम 1976, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1966 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–क तथा 73वॉ संविधान संशोधन महिलाओं को विशिष्ट सुविधाऐं प्रदान करते हैं।

आपराधिक विधि के अन्तर्गत महिलाओं हेतु विशिष्ट संरक्षणशील धाराऐं लागू की हुए हैं। लेकिन कानूनी अधिकार मात्र देने से महिलाओं की स्थिति में रातों रात बदलाव नहीं आ सकता। सामाजिक परिवर्तन हेतु आर्थिक संरचना में बदलाव की सहभागी कड़ी है।

भारत की कुल 13 करोड़ महिलाओं श्रमशक्ति में से 10.02 करोड़ महिलाऐं गॉवों में निवास करती है और कृषि कार्यो से जुड़ी हुई है। आज भी कुल आबादी के 50 प्रतिशत के अधिक महिलाऐं और आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दोहरी जिम्मेदारियों को उठाते हुए उन्होंने कृषिगत व अन्य श्रमिक बाजार में अपनी सहभागिता अवश्य दी है। बावजूद इसके भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में दिये गये अधिकारों का उपयोग नहीं कर पायी है। अतः उन्हें स्वरोजगार करने हेतु प्रशिक्षित करने और अन्य सुविधाऐं देने हेतु अनेक योजनाऐं भारत सरकारों द्वारा समय समय पर चलायी गई हैं।

जैसे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 1953 में स्थापित केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सघन पाठ्यक्रम जागरूकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण परिवार, परामर्शदायी सेवाऐं, केन्द्रीय महिला मंडल, अल्प आवास गृह हेल्पलाईन सेवाओं की व्यवस्था की है। 1985 से केन्द्रीय महिला विकास मन्त्रालय द्वारा सरकार, गैर सरकार संगठनों के प्रयासों में समन्वय स्थापित कर रोजगार,, प्रशिक्षण, कल्याण व चेतना जाग्रति सम्बन्धी प्रयास प्रारम्भ किये। 1993 में राष्ट्रीय महिला

कोष एक ऋण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया जिससे गरीब महिलाऐं आय अर्जन, उत्पादन व घरेलू क्रिया कलापों के लिए ऋण व सहायता प्राप्त कर सकें।

31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम 1990 के अन्तर्गत किया गया जो कि महिलाओं का शीर्षस्थ सांविधिक निकाय है और अभिरक्षात्मक न्याय की दिशा में भी कार्य करता है। वर्ष 2001–02 में स्वधारा योजना, स्वयं सिद्ध योजना द्वारा महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने व समूह बनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

1 अप्रेल 2005 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया था। 2006 से संचालित मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को यह जिम्मेदारी दी गई कि सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों में से 1/3 स्थानों पर महिलाओं को रोजगार दिलाया जाये, कार्यस्थल पर उनके बच्चों की पालना हो, ग्रेच्यूटी पुरूषों के समान हो।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत् वर्ष 2006–07 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को संगठित होकर स्वयं सहायता समूहों के रूप में कार्य करने व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को कल्याण सहयोग प्रशिक्षण प्रदान करने योजनाऐं अपनाई गयी।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा का समान अधिकार और पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु 2015 में प्रारम्भ की गई है। प्रधानमन्त्री कौशल विकाय योजना के अतिरिक्त कृषि कार्य में लगी महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण योजना 2010–11 में शुरू की गई है। जिसमें भारत राज्य को 18 राज्यों में लगभग 11 परियोजनाऐं संचालित की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना के तहत् सूक्ष्म ऋण योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में 31 लाख से भी अधिक महिला स्वयं सहायता समूह और 3–6 करोड़ महिलाऐं इस मिशन से जुड़ी हुई है। इसके माध्यम से स्थायी कृषि, पशुपालन सेवा, डेयरी उद्योग, चारा विकास, बागवानी बैंकिग सेवा, अकाउन्ट्स के क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। दक्षिण भारत की तरह अब उत्तर भारत में भी ये समूह सशक्त संस्थान व व्यावसायिक पेशेवर के रूप में उभरे हैं।

भारत सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु (स्टेप) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एप्लायमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन कार्यक्रम प्रारम्भ किया। स्किल इण्डिया कार्यक्रम के तहत् ये प्रोग्राम महिलाओं को खाद्य प्रंसस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, अंग्रेजी बोलना अतिथि सरकार, पर्यटन, रत्न जवाहरात आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2015 में ही सखी या वनस्टॉप सेन्टर योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत महिलाओं, लड़कियों को चिकित्सा कानूनी सहायता व पुलिस सहायता परामर्श एक केन्द्र पर ही उपलब्ध कराये गये हैं। देशभर में 181 नम्बर के माध्यम से महिलाऐं सरकारी सहायता से सम्बन्धित सभी जानकारियॉ ले सकती है।

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना के तहत् 70% ऋणों का लाभ महिला उद्यमियों ने लिया है। उज्जवला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाकर धुऐं से आजादी दी है। 2017–18 में पूरे देश में 14 लाख महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की है। सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण समन्वयकों के एक कैडर का गठन किया गया है, देश के 300 से ज्यादा जिलो में स्थापित यह संस्था उपरोक्त सभी योजनाओं के फायदों को महिलाओं तक पहुॅचाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

महिला ई–हॉट योजना 2016 को आरम्भ की गई है जो महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वतन्त्रता देकर सशक्तीकरण के अनेक मार्ग खोल दिये है। प्रशिक्षण से लेकर स्वरोजगार करने तक, ऋण उपलब्धता के साथ संस्थागत प्रयासों में भी कमी दिखाई नहीं देती। फिर भी उनकी स्थिति आज भी दोयम दर्जे की ही बनी हुई है। उन्हें आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसेः–

1. परिवार में पुरूषों के बराबर निर्णय लेने का अधिकार न होना।
2. महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा।
3. समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं।
4. उचित सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं।
5. सरकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित।
6. आय के साधनों पर स्वामित्व नहीं।
7. व्यय करने हेतु पुरूषों की इच्छा पर निर्भरता।
8. अवकाश का अधिकार नहीं।
9. कृषि श्रमिक की भांति कार्य करना।
10. वास्तविक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध न होना।
11. सामाजिक दबावों के चलते व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन।
12. ग्रामीण परिवेश के चलते अनेक रीति रिवाजों व रूढ़ियों का पालन करने हेतु मजबूर होना।
13. मानसिक व शारीरिक शोषण होना।
14. महिलाओं के अधिकारों के प्रति ग्रामीण समाज का असंवेदनशील व्यवहार।
15. महिला शिक्षा के लिए भेदभाव।

16. सरकारी प्रशिक्षण व अन्य सुविधाओं की जानकारी का अभाव होना।
17. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु भी पुरूषों पर निर्भरता।
18. महिलाओं की आय को सम्मिलित आय का एक भाग मान लिया जाना जिसके खर्च का अधिकार भी न होना।
19. पर्याप्त मनोरंजन के साधन उपलब्ध न होना।

यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर संस्थागत कार्यशील महिलाओं की आय को घर की सम्मिलित आय का एक भाग मान लिया जाता है जिसे खर्च करने का एकाधिकार उनके पास नहीं होता और समाज उनके इस अधिकार को मान्यता भी नहीं देता।

समयाभाव होने के कारण वे अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ नहीं कर पाती और न ही भावी पीढ़ी को सुशिक्षित करने का दायित्व पूरी तरह से निभा पाती है। उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु परिवार व अधिकतर पुरूषों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अधिकारों, स्वावलम्बन की बात को हॅसी में उड़ाया जाता है ऐसे में इसके लिए तमाम भौतिक परिस्थितियॉ उत्पन्न करके एक यन्त्र के रूप में महिलाओं का उपयोग उत्पादन क्रियाओं में करने से वे सशक्त होगी यह एक विचारणीय प्रश्न है और भारतीय बुद्धिजीवियों को इस दिशा में चिन्तन करना शेष है।

उपरोक्त संदर्भ में व्यावहारिक पक्ष को लेकर शोध किये जाने की निरन्तर आवश्यकता है। भारत के समाज वैज्ञानिकों को इस दिशा में चिंतन करने की दरकार है क्योंकि आधी आबादी का 50% आज भी ऐसी स्थिति में है जहॉ उनका सशक्तिकृत होना स्वयं एक चुनौती है। इसे सामाजिक स्वीकृति मिलना ग्रामीण संकुचित सोच के चलते असम्भव सा प्रतीत होता है।

आवश्यकता इस बात की भी है कि ग्रामीण महिलाऐं स्वयं इस ओर क्रियाशील हो और अपने आसपास के वातावरण और रीति रिवाजों की जंजीरों को एक तरफ रखकर अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में निर्णय करने का अधिकार उन्हें मिल सकें।

बिना सामाजिक संरचना में बदलाव किये मात्र सामाजिक आर्थिक अधिकार देकर उन्हें सशब्द करना दूर की कौड़ी है। सरकार व गैर सरकार सेवा संगठनों को व शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए सम्बल प्रदान करने हेतु आगे आना चाहिए। जैसा कि ऋग्वेद के 5वें मंडल, 60वें सुक्त के 5वें मन्त्र में कहा गया है कि–

''अज्ये ठासोअकनि ठास स्ते।
स भ्रातरो वावृधु सौभगाय ।।

अर्थात् कोई श्रेष्ठ निम्न नहीं है। सभी बंधु है सभी सभी के हितों के लिए प्रयत्न करें, सामूहिक रूप से प्रगति करें।

अथर्ववेद समाज्ञान सुक्त में समानता के अधिकार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि–

समानो प्रपा सह वोत्रभागः
सामानों योक्त्रे सह वो यूनज्मि
आराः नाभि मि वाभिता।।

अर्थात् भोजन एवं जल में सभी को समान अधिकार है। जीवन रथ का जुआ सभी के कंधों पर समान रूप से टिका हुआ है। जिस प्रकार रथ के पहिए के आरे रिम और धुरी से जुड़कर एक–दूसरे की मदद करते हैं उसी प्रकार सभी मनुष्यों को एक दूसरे की मदद कर समाज को खुशहाली की ओर अग्रसर करना चाहिए।

वास्तव में ग्रामीण महिलाओं सशक्तिकरण के बिना हम पूरी तरह यह नहीं कर सकते है कि भारत में महिला मानवाधिकारों के क्षेत्र में व्यापक स्तर को प्राप्त कर लिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. प्रतियोगिता दर्पण
2. हिन्दुस्तान टाईम्स
3. राजस्थान पत्रिका
4. मानवाधिकार एवं कार्यशील महिलाऐं :– डॉ. उमा बड़ौलिया
5. डॉ. जनक सिंह मीणा ''भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ।
6. आशा कौशिक ''नारी सशक्तीकरण–विमर्श एवं यथार्थ।

सारांश

मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानव के व्यक्तित्व विकास एवं उनके सशक्तीकरण से है। बिना किसी भेदभाव के व्यक्तित्व विकास के समूचित अवसर प्रदान करना आज की सभी संवैधानिक राजनैतिक व्यवस्थाओं का मुख्य ध्येय है। भारत में भी इस दिशा में निरन्तर संस्थागत एवं प्रकार्यात्मक प्रयास भारत में भी किये जा रहे है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की जनसंख्या का 70% जन गाँवों में निवास करता है। इस जनसंख्या की लगभग 50% आबादी महिलाओं की है जो कि कृषि कार्य में आधी संलग्न है और शहरी क्षेत्र की महिलाओं की अपेक्षा अवसर की समानता का लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान की मुख्य धारा से जुड़ने में अवरोध महसूस कर रही है। आवश्यकता महसूस की गई की ग्रामीण परिवेश में ही उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवा कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जाये। इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकारों ने तमाम योजनाओं के अन्तर्गत लघु, कुटीर उद्योग व अन्य क्षेत्रों में रोजगार की सुविधा देने के बाद भी सामाजिक सोच व संकूचित मानसिकता के चलते गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु संघर्षशील है। अतः भारतीय समाजशास्त्रियों को इस दिशा में चिन्तन करने की आवश्यकता

है। स्वयं महिलाओं को भी इस दिशा में प्रयासरत रहना होगा कि वे सामाजिक रूढ़ियों विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें।

Keyword:- मानवाधिकार, सशक्तिकरण, स्वरोजगार, सामाजिक संरचना, आधुनिकीकरण, सामर्थ्य, गुणवता ग्रामीण परिवेश अवसर की समानता उत्थान, स्वजरोजगार।